अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्रावास अनुभाग

रेजीडेन्ट/विद्यार्थी द्वारा वचनबंध
मैं पुत्र/पुत्री डॉ. श्री/श्रीमती/सुश्री रेजीडेन्ट/विद्यार्थी एतद्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि मैं:-
 छात्रावास में रहने के दौरान यहां के नियमों एवं विनियमों का पालन करूँगा/करूँगी। इस संस्थान की समृद्ध परंपराओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं को व्यवस्थित करूँगा/करूँगी। में छात्रावास के कमरे में भौतिक रूप से निवास करूँगा/करूँगी। यदि आबंटित कमरा खाली/किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ पाया जाता है तो आबंटन रद्द कर दिया जाएगा। मैं छात्रावास में आबंटित कमरे को किराए पर नहीं दूँगा/दूँगी अथवा कमरे में किसी छन्न अथवा नकती साथी को नहीं रखूँगा/रखूँगी। अन्यथा मेरे खिलाफ यथोचित कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।
यदि आवास किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ पाया जाता है तो निवासी को आबंटन की तारीख से संपदा अनुभाग के नियमों के अनुसार छात्रावास के कमरे का बाजार किराया देना होगा। आबंटित आवास को रद्द करना, कार्यकाल की पूर्ण अविध के लिए छात्रावास आबंटन से बहिष्कृत करना जैसे दंड तथा शैक्षिक अनुभाग द्वारा अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जाएंगी। आगे यह भी वर्णित किया जाता है कि यहां तक कि एकल कमरे में उनके माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार तथा दोस्त और विवाहित आवास में पित-पत्नी तथा बच्चों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को रहने की अनुमित नहीं दी जाएगी। आपातकाल/आवश्यकता के मामले में रेजीडेन्ट/विद्यार्थियों को छात्रावास अधीक्षक से लिखित अनुमित लेनी होगी।
छात्रावास में एयर-कंडीशनर तथा बिजली के अन्य भारी उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
में समझता/समझती हूँ कि नियमों को तोइने के मामले में, मैं छात्रायास से निष्कासन सहित दण्ड
के लिए उत्तरदायी हो सकता/सकती हूँ। निवासी का नाम एवं दिनांक सहित हस्तोक्षर
निवासी का पदनाम
विभाग
मोबाइल नं
फान न ई-मेल आईडी
इ-मल आइडा.
स्नातक पूर्व विद्यार्थियों हेतु —
माता-पिता/अभिभावक का लाम एवं हस्ताक्षर
माता-पिता/अभिभायक का फोन नं./मोबाइल नं
दिनांक ई-मेल आईडी

am/

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES HOSTEL SECTION

Undertaking by the Resident/Student
Ison/daughter of Dr. Sh./Smt.Msresident/student hereby give the undertaking that I shall:
 Abide by the rules and regulations of the hostels during my stay. Conduct myself in a manner in keeping with the rich traditions of this institution. I will keep the hostel room physically occupied. If found unoccupied/ subletted the allotment will be cancelled. I will not sub-let or have proxy or dummy room-mate in the hostels. Otherwise action as deemed fit may be initiated against me.
If the accommodation is found subletted then occupant will be charged market rent of the hostel room according to the Estate Section Rules from the date of allotment. The penalties like cancellation of allotted accommodation, debarment from hostel allotment for the whole period of tenure and further disciplinary action by the Academic Section will be initiated. It is further explained that even his/her parents brother, sister, relative & friend will not be allowed in single room and none other than spouse and children in the married accommodation. In case of emergency/ requirement the residents/students will have to take written permission from the Supdt. of Hostels.
Use of air-conditioners and other heavy duty electrical appliances are strictly prohibited in the Hostels.
I understand that in the event of breaking any rules, I may be liable for punishment including eviction from the hostel.
Name & Signature of the occupant with date
Designation of the occupant
Department
Mobile No.
Phone No.
e-Mail ID.
For Under Graduate Students
Name & Signature of Parents/Guardian
Phone No./Mobile No. of Parents/Guardian

gill /

e-Mail ID. _

Date